

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 550]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 12 अक्टूबर 2010—आश्विन 20, शक 1932

गृह (सी-अनुभाग) विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 12 अक्टूबर 2010

क्र. एफ-35-88-2009-दो-सी-2.— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 258 खण्ड (1) व राष्ट्रपति द्वारा केन्द्र सरकार को प्रदत्त प्रशासनिक कर्तव्यों के अनुसरण में, केन्द्र सरकार के राजपत्र, भाग-दो उप विभाग 3(दो), दिनांक 11 मई 1963 में प्रकाशित केन्द्र सरकार के आदेश का. आ. 1285, दिनांक 4 मई 1963 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, मध्यप्रदेश शासन, शासकीय गुप्त अधिनियम, 1923 (1923 का 19) की धारा 2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (ग) व (घ) के अंतर्गत केन्द्र सरकार के अधिकारों को उपयोग हुए, मध्यप्रदेश शासन, एतद्वारा, अनुसूची में वर्णित स्थानों को उक्त अधिनियम के कॉलम 2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (घ) के अंतर्गत प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करता है :—

#### अनुसूची

क्र. (1)	स्थान (2)	पता (3)	प्रतिबंधित क्षेत्र की चतुर्सीमा (4)
1.	पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्राम धनोरा, थाना बीना, जिला सागर.	पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 765/400/200 के. व्ही. सब- स्टेशन, 8 कि. मी. माईल स्टोन, बीना खिमलासा रोड, बीना, जिला सागर (म. प्र.) पिनकोड नं. 470113.	<p>पूर्व—ग्राम गुनगी एवं ग्राम बमोरीशेख की पॉवर ग्रिड की भूमि.</p> <p>पश्चिम—ग्राम धनोरा के पॉवर ग्रिड की भूमि.</p> <p>उत्तर—ग्राम गुनगी से पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन की भूमि.</p> <p>दक्षिण—खिमलासा रोड से लगी भूमि सीमा. बमोरीशेख-धनोरा से लगी पॉवरग्रिड की भूमि.</p>

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
चंद्रहास दुबे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 12 अक्टूबर 2010

क्र. एफ-35-88-2009-दो-सी.-2—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 12 अक्टूबर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
चंद्रहास दुबे, सचिव.

Bhopal, the 12th October 2010

No. F-35-88-2009-II-C-2.—In pursuance of entrustment of the executive functions of the Central Government to the Government of Madhya Pradesh by the President under clause (1) of Article 258 of the constitution of India, in relation to any matters specified in sub-clause (c) and (d) of clause (8) of Section 2 of the Indian Official Secrets Act, 1923 (19 of 1923) by the Government of India's Order No. S. O. 1285, dated the 4th May 1963, Published in the Gazette of India, Part-II Section 3(ii), dated the 11th May 1963, the Government of Madhya Pradesh hereby declares under sub-clause (d) of the clause (8) of Section 2 of the said Act the place specified in the Schedule hereto be the prohibited places of the purposes of the said Act, namely :—

SCHEDULE

S.No.	Place	Location	Description of the Boundaries of the prohibited place
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Power Grid Corporation of India Limited, village Dhanora, Thana Bina, Distt. Sagar.	Power Grid Corporation of India Limited, 765/400/200 KV Sub-Station, 8 K. M. mile stone, Bina, Khimlasa Road Bina, Distt. Sagar (M . P.) Pincode 470113	<p><b>East</b>—Open Land of Power Grid of village Gungi and village Bamorishekh.</p> <p><b>West</b>—Open Land of Power Grid of village Dhanora.</p> <p><b>North</b>—Open Land of Power Grid from village Gungi.</p> <p><b>South</b>—Open Land from Khimlasa road. Open Land of Power Grid from Bhamorishekh.</p>

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
CHANDRAHAS DUBEY, Secy.